

समस्त

जोनल एडीशनल कमिश्नर

ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्यपालक / वि०अनु०शा०/प्र०/अपील/उ०न्या०कार्य/सर्वो०न्या०कार्य)

डिप्टी कमिश्नर /असिस्टेन्ट कमिश्नर /चेक पोस्ट, सचलदल, वि०अनु०शा,कर निर्धारण, वाणिज्य कर /

वाणिज्य कर अधिकारी , उ०प्र० ।

Key word 1-47-Verification Forms/ Penalty

कृपया इस कार्यालय के परिपत्र सं०- चेकपोस्ट-25-क-97-98/ 1176 दि० 02-12-98 का संदर्भ लेने का कष्ट करे जिसके द्वारा शासन के पत्र सं०-क०सं०वि०-2-1983/11-98-9(134)/98 दि० 06-11-98 से प्राप्त निर्देशों के क्रम में यह निर्देश दिए गए थे कि सेन्द्रल एयर एण्ड ईस्टर्न एयर कमाण्ड द्वारा एयर फोर्स यूनिट के लिये प्रयोग हेतु प्रदेश के बाहर से माल आयात किए जाने पर सेन्द्रल एयर कमाण्ड अथवा ईस्टर्न एयर कमाण्ड द्वारा नामित अधिकारी द्वारा यह प्रमाण पत्र दे दिया जाए कि अमुक वाहन में लाया जाने वाला माल (जिसमें माल का पूरा ब्यौरा, विक्रेता का नाम, पता, मूल्य इत्यादि) एयरफोर्स यूनिट के लिये ही है , बिक्री हेतु नहीं है तो ऐसे मामले में उक्त प्रमाण पत्र के आधार पर जाँच चौकियों व सचल दल द्वारा फार्म-32 की माँग न की जाए।

2- मुख्यालय के संज्ञान मे यह आया है कि दि० 01.01.2008 से व्यापार कर अधिनियम के स्थान पर वैट व्यवस्था लागू हो जाने के क्रम में कतिपय जाँच चौकियों पर इन निर्देशों का पालन न करते हुए सेन्द्रल एयर एण्ड ईस्टर्न एयर कमाण्ड द्वारा एयर फोर्स यूनिट के लिए माँगा जा रहे माल के संबंध में फार्म-39 (पूर्व में फार्म-32) की माँग की जाती है ।

3- उक्त संदर्भ में अवगत कराना है कि इस कार्यालय के परिपत्र सं०-479 दि० 29.12.2007 व परिपत्र सं० 2298 दि० 29.01.2008 से स्पष्ट निर्देश दिए जा चुके हैं कि उ०प्र० व्यापार कर अधिनियम 1948 के अन्तर्गत मुख्यालय द्वारा विभिन्न परिपत्रों से जारी किए गए निर्देश अग्रिम आदेशों तक प्रभावी रहेंगे । स्पष्ट निर्देशों के बावजूद सेन्द्रल एयर एण्ड ईस्टर्न एयर कमाण्ड द्वारा एयर फोर्स यूनिटके लिए आयात किए जा रहे माल के संबंध में जाँच चौकियों / सचल दल इकाईयों द्वारा फार्म-39 (पूर्व में फार्म-32) की माँग किया जाना उचित नहीं है । अतः पुनः निर्देशित किया जाता है कि सेन्द्रल एयर एण्ड ईस्टर्न एयर कमाण्ड द्वारा एयर फोर्स यूनिट के लिए आयात किए जा रहे माल के संबंध में जाँच चौकियों / सचल दल इकाईयों द्वारा फार्म-39 (पूर्व में फार्म-32) की माँग न की जाए ।

उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।

(सुनील कुमार)

कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश ।

पू०प०सं० एवं दिनांक उक्त ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव , संस्थागत वित्त एवं कर एवं निबन्धन (अनुभाग-2), उत्तर प्रदेश शासन, सचिवालय, लखनऊ
2. अध्यक्ष , वाणिज्य कर अधिकरण , उत्तर प्रदेश , लखनऊ ।
3. एयरकमांडोर , एयर आफिसर कमान्डिंग-24 , इन्फ्यूपमेन्ट डिपो , एयर फोर्स स्टेशन , मनौरी , इलाहाबाद ।
4. समस्त सदस्य , वाणिज्य कर अधिकरण , उत्तर प्रदेश ।
5. संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण) वाणिज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान , गोमतीनगर , लखनऊ
6. समस्त अनुभाग अधिकारी , वाणिज्य कर , मुख्यालय ।
7. चेक पोस्ट अनुभाग/ वैट अनुभाग / कम्प्युटर / मैनुअल / विधि / जनसम्पर्क अनुभाग को 25/ 5/ 5/5/ 10 प्रतियाँ अतिरिक्त

(जगमोहन लाल शर्मा)

↓ ज्वाइन्ट कमिश्नर (चे० पो० 0) वाणिज्य कर,
मुख्यालय , लखनऊ